महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार

दरोगा राय पथ, रोड नं०–2, आर० ब्लॉक, पटना–800001

ईमेल-support.wdc@bihar.gov.in

दूरभाष–0612–2506078 / 2506068

बिहार सरकार

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए

आवश्यक सूचना
विज्ञापन सं. : WCDC/CSPR/02/2025

निगम द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण होने वाली बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. अभ्यर्थी के लिए अहर्त्ता एवं शर्तें:–

(क) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
(ख) बिहार सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नहीं आनी चाहिए।
(ग) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रांरभिक) परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
(घ) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
(च) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. आवेदन की प्रक्रियाः–

(1) महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के Website (https://wcdc.bihar.gov.in/Careers) पर Login कर अभ्यर्थी द्वारा **दिनांक 26.06.2025 से 25.07.2025** तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेगें एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(2) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं पिछडा वर्ग की श्रेणी की अभ्यर्थी जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), स्वयं के नाम से सक्रिय बैंक पासबुक (**प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार न० के साथ सीडेड होना चाहिए**, जिसमें खाता संख्या एवं बैंक आईएफएससी स्पष्ट रूप से अंकित हों) अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो), की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक होगी। इसके साथ ही आवेदक **किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, इस संबध में 1st Class Judicial Magistrate or Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ पत्र की Scanned** प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

(3) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई–मेल आई.डी. होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई–मेल आई.डी. पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी ई–मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई–मेल नियमित रूप से देखने (चेक करने) की अपेक्षा की जाती है।

(4) ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएँ सही–सही–अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.07.2025 होगी।

विस्तृत जानकारी वेबसाईट (https://wcdc.bihar.gov.in/Careers) पर देखी जा सकती है।

विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2506068 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रबंध निदेशक
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार